न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 109/2018
GCMS NO. : 2018/00169

–: वादीगण :–

1. भूण्डाराम पुत्र श्रीनारायणलाल जाति मेघवाल निवासी मालपुरिया तहसील जैतारण जिला पाली।

बनाम

–: प्रतिवादीगण :–

1. जडावबाई पत्नी रूघाराम जाति सरगरा निवासी फुलमाल तहसील जैतारण जिला पाली।
2. समुदेवी पत्नी हिरालाल कौम मेघवाल
3. मोकली देवी पत्नी तेजाराम कौम जाट
4. राजुदेवी पत्नी भोलाराम कौम जाट
5. प्रेम पत्नी इब्राहिम कौम मुसलमान लौहार
6. तुलछाई पत्नी ढगलाराम कौम जाट
7. सेमकी पत्नी दुदाराम कौम जाट
8. सुवादेवी पत्नी रामाराम कौम जाट
9. पोकरराम पुत्र मोडाराम कौम जाट
10. गजराई पत्नी शंकरलाल
11. नर्बदा पत्नी पोकरराम कौम जाट
12. हीरादेवी पत्नी दुदाराम कौम प्रजापत
13. अगराई पत्नी जेपाराम कौम मेघवाल
14. राजकंवर पत्नी मोहनसिंह कौम पुरोहित सभी निवासीगण फूलमाल तहसील जैतारण जिला पाली।
15. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण जिला पाली।

राजस्ववादबाबत् **तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 88 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955**

तारीख रजू:–15.05.2018

उपस्थित:–

1. श्री रामलाल देवासी, अधिवक्ता, वादी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:19:20 IST
Reason: SelfAttested

–:: निर्णय ::– दिनांक:–15/06/2022

वकील मय वादी ने एक संशोधित वाद बाबत् बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा फूलमाल पटवार हल्का

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण, जिला–पाली

फूलमाल भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निमाज तहसील जैतारण जिला पाली राज मे खसरा नम्बर 104/1 रकबा 5 बीघा कृषि भूमि आई हुई है। नकल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 की वादपत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। वादपत्र के पद संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि मे से प्रतिवादी संख्या एक जडावबाई की कब्जे काश्त की एवं हक हिस्से की एवं खातेदारी की भूमि रकबा 3603.09 वर्गफिट यानि 400.43 वर्गगिज भूमि को प्रतिवादी संख्या एक जडावबाई ने दिनांक 22/01/2014 को वादी के पक्ष में रजिस्टर्ड बेचान कर दिया व मौके पर प्रतिवादी संख्या एक ने वादी को कब्जा सुपूर्द कर दिया तब से वादी प्रतिवादी संख्या एक के हक हिस्से की भूमि पर काबिज है एवं बिना किसी रोकटोक के उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। नकल रजिस्टर्ड बेचाननामा की वादपत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है जिसे बादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावें। वादी ने अपना नाम राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने को दिनांक 10/3/18 को प्रतिवादी संख्या एक व पटवारी हल्का को कहा तो उन्होंने मना कर दिया व कहा कि सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ। इसलिए उक्त वादपत्र घोषणा का श्रीमान् के समक्ष पेश किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या एक द्वारा पंजीबद्ध विकय विलेख कर देने के बाद भी वादी द्वारा अपना नाम दर्ज करवाने का एवं माफिक हक हिस्से अनुसार बंटवाडा करवाने का कहने पर मना करने से प्रतिवादी संख्या एक की नियत में फर्क आ गया है व राजस्व रेकर्ड में अपने नाम के इन्द्राज का नाजायज फायदा उठाकर उक्त कृषि भूमि को अन्य व्यक्ति को बैचान हस्तान्तरण आदि कर देगें तो वादी को विभिन्न प्रकार की दीवानी व फौजदारी मुकदमे करने पड़ेंगे। जिससे वादी जैरबार हो जायेगा तथा वादी को असीम हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं होगी तथा वादी अपने विधिक साम्पैतिक हक व अधिकारो से महरूम हो जायेगा। इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वाद घोषणा व बंटवाडा तथा स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश किया जा रहा है। प्रतिवादी संख्या 15 तहसीलदार, जैतारण राज्य सरकार के प्रतिनिधि है जिनके विरूद्ध वादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस देकर ही वादपत्र प्रस्तुत किया जा सकता है परन्तु वादपत्र आवश्यक प्रकृति का होने तथा नोटिस देने में समय लगेगा तब तक वादी का वाद करने का मकसद ही विफल हो जायेगा इसलिए बिना नोटिस दिये ही वादपत्र प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत् धारा 80 (2) सीपीसी का प्रार्थनापत्र वादपत्र के साथ संलग्न है। विनाय दावा दिनांक 10/3 द्य 18 को वादी ने प्रतिवादी संख्या एक व पटवारी हल्का फूलमाल को अपने नाम म्युटेशन पारित करने का कहने पर प्रतिवादीगण [illegible] नाम दर्ज करवाने एवं बंटवाडा करने से मना करने व उक्त भूमि [illegible] फायदा उठाकर उक्त भूमि को आगे से आगे बैचान [illegible] की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम फूलमाल तहसील जैतारण मे पैदा हु[illegible] जो श्रीमान् के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार मे होने से यह वाद अन्दर मयाद श्रीमान् के समक्ष सादर प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:19:20 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया। प्रतिवादीगण को बार बार रूक रूक कर आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अधिवक्ता वादी ने वादी भूण्डाराम का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया, जो शामिल पत्रावली किया गया। साक्ष्य प्रदर्श करवाये गए। अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई।

हमनें पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। बहस अधिवक्ता वादी की सुनी गई।पत्रावली का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है :-

1. वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध हस्तगत वादपत्र बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा तथा रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सरहद मौजा सरहद मौजा फूलमाल पट्वार हल्का फूलमाल भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र निमाज तहसील जैतारण जिला पाली राज मे खसरा नम्बर 104/1 रकबा 5 बीघा प्रतिवादी संख्या एक जड़ावबाई की कब्जे काश्त की एवं हक हिस्से की एवं खातेदारी की भूमि रकबा 3603.09 वर्गफीट यानि 400.03 वर्गगज भूमि का प्रतिवादी संख्या एक जड़ावबाई ने दिनांक 22.01.2014 को वादी के पक्ष में रजिस्टर्ड बैचान कर मौके पर वादी को कब्जा सुपुर्द कर दिया तब से वादी प्रतिवादी संख्या एक के हक हिस्से के कब्जे की भूमि पर काबिज है एवं बिना किसी रोकटोक उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है, लेकिन उसका नामान्तरण नहीं भरा गया। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 104/1 रकबा 05-00 बीघा में वादी द्वारा खरीद सुदा रकबा 3603.09 वर्गफीट यानि 400.03 वर्गगज भूमि में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर वादी के हक हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर वाद डिक्री फरमाया जावे।

2. प्रतिवादीगण द्वारा पर्याप्त एवं उचित अवसर दिये जाने के बावजूद वकालतनामा प्रस्तुत नहीं करने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर साक्ष्य ली गई तथा अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई।

3. प्रदर्श-1 ग्राम फूलमाल की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी किस्म बारानी दोयम अर्थात कृषि भूमि है तथा उक्त भूमि में सभी खातेदारान का हक हिस्सा वर्गफीट व वर्गगज के रूप में अंकित है। पंजीकृत बैचाननामा दिनांक 22.01.2014 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत बैचान प्लॉट के रूप में हुआ है जिसमें विक्रित भूखण्ड एवं इसके पड़ोस में स्थित भू खण्डों की प्लॉट संख्या अंकित है [illegible] तथा लम्बाई व चौड़ाई फीट में दर्ज है। बैचाननामा के साथ खसरा संख्या 104/1 रकबा 05 बीघा की भूमि का आवासीय प्लॉट हेतु प्रस्तावित Lay[illegible] है जिसमें नक्शे में सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी पर प्लॉट, प्लॉट संख्या, सड़क आदि अंकित है, लेकिन पक्षकारान द्वारा वादग्रस्त आराजी का सक्षम अधिकारी से नियमानुसार अकृषि आवासीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:19:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाने बाबत् कोई आदेश की प्रति प्रस्तुत नहीं की है। वर्तमान भू अभिलेख से भी वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि होना साबित होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी का मौके पर बिना सक्षम स्वीकृति कृषि भिन्न प्रयोजन अर्थात् आवासीय प्रयोजनार्थ काम में लिया गया है। साथ ही छोटे आवासीय भू खण्डों में विभाजित कर बैचान किया गया जिनकी भू नक्शा में तरमीम नहीं हो सकती है। साथ ही भू अभिलेख में केवल बीघा बिस्वा एवं हैक्टेयर में ही अधिकृत रूप से भूमि का रकबा अंकित किया जा सकता है, न की वर्गगज या वर्गफीट में। ऐसा कोई भू खण्ड जिसकी भू नक्शा में तरमीम नहीं की जा सकती उसका नामान्तरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी का बिना सक्षम स्वीकृत के कृषि भिन्न आवासीय प्रयोजनार्थ काम में लेने मौके पर प्लॉटिंग आदि कर देने, वादपत्र में दर्शित भूमि वर्गफीट में प्लॉट के रूप में क्रय करने, तथा भू अभिलेख में भूमि का रकबा केवल बीघा बिस्वा एवं हैक्टेयर के रूप में ही दर्ज होने व भू नक्शा पर वर्गफीट रकबा के छोटे प्लॉट की तरमीम नहीं होने के कारण हस्तगत वादपत्र बखूबी साबित नहीं होता है अतः वादपत्र को खारिज/अस्वीकार किया जाना विधि संगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत आदेश धारा–88, 53 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वादीगण के पक्ष में बखूबी साबित नही होनें एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी का मौका निरीक्षण कर मौके पर वादग्रस्त कृषि भूमि का बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग होने का संबधित के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में आवश्यक विधिक कार्यवाही करें। इसी मुताबिक पर्चा डिक्री पृथक से जारी होकर शामिल मिसल हो, जो इस निर्णय का भाग होगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण, जिला–पाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनॉक 15/06/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण, जिला–पाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:19:20 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

पीठासीन अधिकारी : **डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०**
राजस्व वाद संख्या : **109/2018**
GCMS No. : **2018/00169**

–: वादीगण :– बनाम –: प्रतिवादीगण :–

1. भूण्डाराम पुत्र श्रीनारायणलाल जाति मेघवाल निवासी मालपुरिया तहसील जैतारण जिला पाली।

बनाम

1. जडावबाई पत्नी रुघाराम जाति सरगरा निवासी फुलमाल तहसील जैतारण जिला पाली।
2. समुदेवी पत्नी हिरालाल कौम मेघवाल
3. मोकली देवी पत्नी तेजाराम कौम जाट
4. राजुदेवी पत्नी भोलाराम कौम जाट
5. प्रेम पत्नी इब्राहिम कौम मुसलमान लौहार
6. तुलछाई पत्नी ढगलाराम कौम जाट
7. सेमकी पत्नी दुदाराम कौम जाट
8. सुवादेवी पत्नी रामाराम कौम जाट
9. पोकरराम पुत्र मोडाराम कौम जाट
10. गजराई पत्नी शंकरलाल
11. नर्बदा पत्नी पोकरराम कौम जाट
12. हीरादेवी पत्नी दुदाराम कौम प्रजापत
13. अगराई पत्नी जेपाराम कौम मेघवाल
14. राजकंवर पत्नी मोहनसिंह कौम पुरोहित सभी निवासीगण फूलमाल तहसील जैतारण जिला पाली।
15. तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण जिला पाली।

मु०न० :– रा०वा० स०: 109/2018
निर्णय एवं डिक्री दिनांक :– 15.06.2022

राजस्व वाद बाबतघोषणा
अन्तर्गत धारा 88, 53, 92ए
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इ... कतई रूबरू ....–........ व हाजरी श्री रामलाल देवासी, अधि... वादी ... मुद्दई व मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि उपर्युक्त वि... के आलोक में वाद वादी अंतर्गत आदेश धारा–88, 53 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वादीगण के पक्ष में बखूबी साबित नही होनें एवं सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:19:20 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
जैतारण, जिला-पाली

मौका निरीक्षण कर मौके पर वादग्रस्त कृषि भूमि का बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग होने का संबधित के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में आवश्यक विधिक कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर संख्या से एक कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर . ...–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख **15/06/2022** को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण जिला-पाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
(जिला–पाली)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	03-00	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	01-00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	/	महनताना वकील	
महनताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	19-00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	/	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा		मुत्फरिक	
मिजानः–	23-00	मिजानः–	

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.10.07 13:19:20 IST
Reason: SelfAttested